

राज्य बनाम श्यामलाल और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1254/2024)

20 मार्च 2025

[न्यायमूर्ति श्री अभय एस. ओक,* श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और
श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

विचारणीय बिंदु

उच्च न्यायालय द्वारा अभ्युक्तगण की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 के द्वितीय भाग में परिवर्तित किया। क्या उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है

शीर्ष टिप्पणियाँ †

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और धारा 304 का द्वितीय भाग – अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त एक सामान्य आशय और उद्देश्य के साथ एक साथ आए और दिनांक 01.11.1989 को अ. सा.-1, अ. सा.-2, अ. सा.-3, अ. सा.-11, अ. सा.-12 और मृतक पर हमला किया – विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और धारा 452, 302, 325, और 323 सहपठित धारा 149 के अपराधों के लिए दोषी ठहराया था – आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 अपराधों के लिए दी गई दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया – उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय भाग में परिवर्तित कर दिया – शुद्धता:

अभिनिर्धारित: मृतक को घटना के दिन अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था-- आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया था कि मृतक ने सिरदर्द की शिकायत की थी और उसे बारह दिनों तक जिला अस्पताल में उपचार मिला जिसके पश्चात् उसे छुट्टी दे दी गई थी - अ. सा.-4 के साथ वापस घर जाते समय, उसने पुनः सिरदर्द की शिकायत की और अतः, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 15.11.1989 को उसकी मृत्यु हो गई - इस प्रकार, मृत्यु घटना के पंद्रह दिन पश्चात् हुई थी - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अभिलिखित है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था, लेकिन मृत्यु का सटीक कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका - न तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित मृत्यु का कारण और न ही अ. सा.-17 का साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि मृतक को पहुंचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई - चिकित्सकीय साक्ष्य यह गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों के कारण ही पीड़ित की मृत्यु हुई थी - अतः, एक गंभीर संदेह है

कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी लागू की जा सकती थी, क्योंकि चिकित्सकीय राय मृतक की हत्याजनित मृत्यु के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती - यही कारण है कि उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है जिसमें यह निदेशित किया गया है कि प्रतिवादी-अभ्युक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 सहपठित धारा 149 अपराध के लिए दंडादेश की भुगती गई अवधि पर रिहा कर दिया जाए -जब उच्च न्यायालय ने 2017 में अपील का निर्णय किया, तब तक घटना को पहले ही अट्ठाईस वर्ष बीत चुके थे - जब यह न्यायालय वर्ष 2024 की इस अपील (जो वर्ष 2018 की विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न हुई है) का निर्णय कर रहा है, तब तक घटना को लगभग छत्तीस वर्ष बीत चुके हैं - जब उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया, तब कम से कम पाँच अभियुक्त सत्तर वर्ष से अधिक आयु के थे, और उनमें से एक की आयु लगभग अस्सी वर्ष थी - उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माने के रूप में प्रत्येक पर ₹16,000/- की पर्याप्त राशि भी अधिरोपित की गई है- अतः, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

अपीलें – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें – अभियुक्त की वृद्धावस्था – अपराध किए जाने से लेकर समय की लंबी अवधि – जहाँ अभियुक्त जमानत पर हैं – अपीलों को प्राथमिकता:

अभिनिर्धारित: अभियुक्त की वृद्धावस्था और अपराध किए जाने से लेकर समय की लंबी अवधि बीत जाने को हमेशा एक आधार माना जा सकता है जिसके तहत जमानत पर चल रहे अभ्युक्तगण की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों को कुछ प्राथमिकता दी जा सके- यदि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें, जहाँ अभियुक्त जमानत पर हैं और विशेषकर जहाँ आजीवन कारावास की सज़ा अधिरोपित की गई है, उनके दायर होने के एक दशक या उससे अधिक समय के पश्चात् सुनी जाती हैं, और यदि अपील खारिज हो जाती है, तो एक दशक से अधिक की लंबी अवधि के पश्चात् अभियुक्त को वापस जेल भेजने का प्रश्न उत्पन्न होता है - अतः, यह वांछनीय है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलों की कुछ श्रेणियों को, जहाँ अभियुक्त जमानत पर हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए।(कंडिका 15)

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैयद और अन्य बनाम गुजरात राज्य [2009] 8 एस.सी.आर. 719 : (2009) 7 एस.सी.सी. 254; फट्टा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 629 – संदर्भित

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का द्वितीय भाग अत्यंत पुरानी आपराधिक अपीलों का लंबित होना अभियुक्त कारावास में (या जेल में) अभियुक्त जमानत पर अभियुक्त की वृद्धावस्था अपराध किए जाने से लेकर समय की लंबी अवधि बीत जाना आजीवन कारावास

किससे उद्भूत मामला

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1254/2024 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ जबलपुर का आपराधिक अपील संख्या 554/1994 में दिनांक 24.08.2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण:

पशुपति नाथ राजदान, पद्मेश मिश्रा, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, सुश्री आकांक्षा तोमर, अर्घा रॉय।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

श्रीमती युगंधरा पवार झा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री अभय एस. ओक,*

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

1. यह अपील राज्य सरकार द्वारा दायर की गई है। प्रत्यर्थागण पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भ दं सं') की धारा 147, 452, 302, 325, और 323 सहपठित धारा 149 अपराधों के तहत मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी-अभ्युक्तगण को दोषी ठहराया। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थागण को भ दं सं की धारा 147 और धारा 452, 302, 325, और 323 सहपठित धारा 149 अपराधों के लिए दोषी ठहराया। भ दं सं की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराध के लिए, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य अपराधों के लिए पृथक दण्ड अधिरोपित किए गए, जिन्हें समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया गया।

2. प्रत्यर्थागण ने जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय दिनांक 24 अगस्त 2017 द्वारा, उच्च न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराधों के लिए प्रत्यर्थागण की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने धारा

302 के तहत दोषसिद्धि को भ दं सं की धारा 304 के द्वितीय भाग में परिवर्तित कर दिया। अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्धि को पुष्टि दी गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह घटना वर्ष 1989 की थी। प्रथम प्रतिवादी, श्यामलाल, लगभग अस्सी वर्ष के थे, और चार अन्य प्रतिवादी भी सत्तर वर्ष से अधिक आयु के थे। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को पूर्व में दण्डादेश की भुगती गई अवधि पर रिहा कर दिया। प्रत्यर्थीगण पर प्रत्येक पर ₹16,000/- (सोलह हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मृतक के परिवार को और प्रत्येक ₹10,000/- (दस हजार रुपये) अ. सा.-12 (चिरंजीव) और अ. सा.-2 (रामधार) को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया।

3. यह घटना 1 नवंबर 1989 को लगभग शाम 4 बजे हुई थी। यह आरोप है कि प्रत्यर्थीगण ने एक सामान्य आशय और उद्देश्य के साथ एक साथ आकर अ. सा.-1 (सिरोमन), अ. सा.-2 (रामधार), अ. सा.-3 (हरिपाल), अ. सा.-11 (जगेश्वर), अ. सा.-12 (चिरंजीव), और मृतक लक्ष्मण पर हमला किया। कथित तौर पर, अ. सा.-1 ने प्रत्यर्थीगण से संबंधित एक भैंस की पूंछ काट दी थी, जिसके कारण यह घटना हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थीगण ने पहले अ. सा.-1, अ. सा.-3 और अ. सा.-11 पर उस समय हमला किया जब वे खेत में काम कर रहे थे। इसके पश्चात्, अ. सा.-1 भाग गया। प्रत्यर्थीगण ने उसका पीछा किया और अ. सा.-2, अ. सा.-12, और मृतक-लक्ष्मण को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला और उन पर हमला किया।

4. अ. सा.-1, अ. सा.-3, और अ. सा.-11 को साधारण चोटें आईं। अ. सा.-2 (रामधार) के मामले में, प्रत्यर्थीगण के हमले के परिणामस्वरूप दाहिने हाथ की अल्ना अस्थि में फ्रैक्चर हुआ। अ.सा.-12 (चिरंजीव) के मामले में, प्रत्यर्थीगण द्वारा पहुंचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप बाएं हाथ की रेडियस और अल्ना अस्थियों में फ्रैक्चर हुआ। मृतक लक्ष्मण की डॉक्टरों द्वारा आरम्भ में जाँच की गई और उपचार के पश्चात् उसे छुट्टी दे दी गई। किंतु, 2 नवंबर 1989 को, उसने उल्टी, सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत की। उसे जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया और 15 नवंबर 1989 को छुट्टी दे दी गई। 15 नवंबर 1989 को अस्पताल से घर लौटते समय उसकी स्थिति बिगड़ गई, और उसने गंभीर सिरदर्द की शिकायत की। उसे चंदला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (क्रमशः अभियुक्त संख्या 3 और 5) के पास भाला था, और शेष अभ्युक्तगण के हाथों में लाठियाँ थीं। अभियोजन पक्ष ने घायल चक्षुदर्शी साक्षियों सहित इक्कीस गवाहों की जांच की।

प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह बताया कि यह मानते हुए भी कि भारतीय दंड संहिता (भ द सं) की धारा 304 के द्वितीय भाग के तहत अपराध बनता है, प्रत्यर्थीगण को केवल सतहत्तर (76) दिन के, पूर्व में दण्डादेश की भुगती गई अवधि पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध को भ द सं की धारा 304 के द्वितीय भाग के तहत अपराध में परिवर्तित करना न्यायसंगत नहीं था। केवल अतः कि हमला किए जाने की तारीख से लेकर मृतक की मृत्यु की तारीख तक पंद्रह दिन का समय अंतराल था, यह नहीं कहा जा सकता कि भ द सं की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया हमला इतना क्रूर था कि चक्षुदर्शी साक्षियों और मृतक पर उनके द्वारा किए गए घावों की संचयी संख्या पैंतीस से अधिक थी, जो गंभीर प्रकृति के थे। उन्होंने इंगित किया कि अ. सा.-17 डॉ. बाबूराम आर्य, जिन्होंने मृतक की जांच की थी, का साक्ष्य यह दर्शाता है कि मृतक-लक्ष्मण की पश्चकपाल अस्थि पर गंभीर चोटें आई थीं। पोस्टमार्टम नोट के अनुसार, प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए वार के कारण मृतक को आंतरिक चोटें आई थीं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण की ओर से (के पास) आशय और ज्ञान था; अतः, भ द सं की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की जानी चाहिए थी।

6. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित है कि आपराधिक कानून का एक प्रमुख उद्देश्य अपराध की गंभीरता और प्रकृति तथा जिस तरीके से अपराध किया गया था, उसके अनुपात में पर्याप्त, न्यायपूर्ण और समानुपातिक दंड देना है। किसी भी स्थिति में, दंड इतनी उदार नहीं होनी चाहिए कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे। उन्होंने इस न्यायालय के *अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैय्यद और अन्य बनाम गुजरात राज्य* मामले में दिए गए एक निर्णय पर निर्भर किया, और विशेष रूप से कंडिका 99 पर, जो इस प्रकार है:

"99. अंत में, लियाकत हुसैन उर्फ मास्टर खुदाबक्स शेख (A-1) को दंड दिए जाने के संबंध में एक और तर्क दिया गया। उचित दंड देने का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को उचित दंड देकर कानून के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि न्यायालय दंड प्रणाली को इस प्रकार संचालित करें कि ऐसी दंड दी जाए जो समाज की अंतरात्मा को दर्शाती हो और दंड देने की प्रक्रिया जहाँ आवश्यक हो, कठोर होनी चाहिए। ऐसे अपराधों के संबंध में समय बीत जाने के कारण मात्र उदार दृष्टिकोण अपनाना, कम दंड देना या अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना दीर्घावधि में परिणामतः प्रतिकूल होगा और समाज के हित के विपरीत होगा, जिसकी देखभाल और दंड प्रणाली में अंतर्निहित निवारण की श्रृंखला द्वारा दृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।"

विद्वान अधिवक्ता ने, अतः, प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता।

7. प्रत्यर्थीगण के पक्ष का समर्थन करने के लिए नियुक्त विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की ओर, और विशेष रूप से कंडिका 16 में कही गई बात की ओर दिलाया। उन्होंने बताया कि अ. सा.-17 (डॉ. बाबूराम आर्य) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि मृतक-लक्ष्मण को साधारण चोटें आई थीं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान पोस्टमार्टम नोट में उल्लिखित मृत्यु के कारण की ओर भी दिलाया। इसमें अभिलिखित है कि मृतक-लक्ष्मण की मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी और मृत्यु का कारण सुस्पष्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त, किसी भी अंग को आंतरिक क्षति का कोई सबूत नहीं था। रासायनिक जांच के लिए भेजे गए विसरा में कोई रसायन या विष नहीं पाया गया। अतः, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मृतक पर किए गए घाव साधारण प्रकृति के थे, और हत्या करने का कोई आशय नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि यह घटना वर्ष 1989 की थी और चूंकि सभी अभियुक्त 70 से 80 वर्ष के थे, अतः उच्च न्यायालय ने पूर्व में भुगतने जा चुके दंडादेश का ही दंड अधिरोपित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आखिर यह न्यायालय उस घटना से निपट रहा है जो छत्तीस वर्ष पूर्व हुई थी।

प्रस्तुतियों पर विचारण

9. हमने भौतिक अभियोजन गवाहों, विशेष रूप से घायल गवाहों के साक्ष्य का अवलोकन किया है। आरम्भ में, आठ अभियुक्त थे। अपील के उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान अभियुक्त संख्या 4 की मृत्यु हो गई। जैसा कि पूर्वकथित है, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभ्युक्तगण ने एक सामान्य आशय और उद्देश्य के साथ, एक साथ आकर, 1 नवंबर 1989 को लगभग शाम 4 बजे अ. सा.-1 (सिरोमन), अ. सा.-2 (रामाधार), अ. सा.-3 (हरिपाल), अ. सा.-11 (जगेश्वर), अ. सा.-12 (चिरंजीव) और मृतक पर हमला किया। अभ्युक्तगण को यह आभास था कि अ. सा.-1 ने प्रत्यर्थीगण-अभ्युक्तगण की एक भैंस की पूंछ काट दी थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि, आरम्भ में, प्रत्यर्थीगण-अभ्युक्तगण ने अ. सा.-1, अ. सा.-3 और अ. सा.-11 पर हमला किया जब वे खेत में काम कर रहे थे। जब अ. सा.-1 भागने की कोशिश कर रहा था, तो प्रत्यर्थीगण-अभ्युक्तगण ने अ. सा.-2 (रामाधार), अ. सा.-12 (चिरंजीव) और मृतक-लक्ष्मण को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला और फिर से उन पर हमला किया। अ. सा.-3 (हरिपाल) और अ. सा.-11 (जगेश्वर)

को साधारण चोटें आईं। दूसरी ओर, अ. सा.-2 और अ. सा.-12 को गंभीर चोटें लगीं, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिभंग हुए।

10. जैसा कि पूर्वकथित है, प्रत्यर्थागण-अभ्युक्तगण की दोषसिद्धि को भ दं सं की धारा 302 से कम करके धारा 304 के द्वितीय भाग तक लाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह नोट किया है कि घटना 1 नवंबर 1989 की थी। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थागण-अभ्युक्तगण को 25 अप्रैल 1994 को दोषी ठहराया था। दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील इक्कीस वर्षों तक लंबित रही। यह बताया गया है कि प्रतिवादी विचारण और अपील के दौरान जमानत पर थे। यह एक परिस्थिति है जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया। विचारित की गई दूसरी परिस्थिति यह है कि जब उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया, तो घटना अट्ठाईस वर्ष पुरानी थी। चार अभ्युक्तगण की आयु लगभग सत्तर वर्ष थी, और एक की आयु लगभग अस्सी वर्ष थी, और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थागण को पूर्व में दंडादेश की भुगती गई अवधि के लिए छोड़ दिया और जुर्माना अधिरोपित किया। जुर्माना अधिरोपित करते समय, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फट्टा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भर किया। यह निर्णय, जिसमें केवल दो कंडिकाएँ हैं, इस प्रकार हैं:

"विशेष अनुमति से दायर इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने केवल रामकांत राय के अतिरिक्त अन्य अपीलार्थियों पर भ दं सं की धारा 302 सहपठित धारा 149 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर अपील पर जोर दिया है। यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत के निष्कर्षों के अनुसार, घटना विवादित खेत में हुई थी जिस पर दोनों पक्षों द्वारा दावा किया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, विचाराधीन खेत मृतक जनार्दन और अ. सा. 1 के कब्जे में था और उन्होंने अरहर की फसल बोई थी और उसे काटने आए थे। उस समय, अभियुक्त एक समूह में, विभिन्न हथियारों से लैस होकर, बलपूर्वक अभियोजन पक्ष को बेदखल करने के उद्देश्य से घटनास्थल पर पहुँचे। ईंट-पत्थर का आदान-प्रदान हुआ और अंततः अभ्युक्तगण में से एक राम सेवक, जो बंदूक से लैस था, ने गोली चलाई जो जनार्दन की दाहिनी आंख में लगी जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और मौके पर ही मर गया। कहा जाता है कि अपीलार्थी रामकांत राय ने गोली चलाने से पहले राम सेवक को एक कारतूस प्रदान किया था। अतः, इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि राम सेवक और रामकांत राय का निश्चित रूप से मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय था। जहाँ तक अन्य का संबंध है, सामग्री के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि घटना दोनों पक्षों द्वारा दावा की गई भूमि

के कब्जे को लेकर हुई थी। रामकांत राय और राम सेवक के अतिरिक्त, समूह के किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक पर हमले में भाग नहीं लिया। हालाँकि कुछ अपीलार्थी फरसा और भाले से लैस थे और एक अपीलार्थी पिस्तौल से लैस था, लेकिन इनमें से किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी अभियोजन पक्ष को बेदखल करने और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चोट पहुँचाने के आशय से हथियारबंद होकर गए थे। लेकिन साक्ष्य यह नहीं दिखाता है कि सभी अपीलार्थी जनार्दन की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य साझा करते थे। यह सच है कि केवल यह तथ्य कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं बताया गया है, भ दं सं की धारा 149 के तहत आरोप को असिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यह प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। इस तात्कालिक मामले में, हम संतुष्ट हैं कि अधिक से अधिक राम सेवक और रामकांत राय के अतिरिक्त अन्य अपीलार्थियों का केवल भ दं सं की धारा 325 के तहत अपराध करने का आशय था और अतः, वे धारा 325/149 के साथ-साथ बलवा के अपराध के भी दोषी थे। दूसरा प्रश्न जिसका निर्धारण किया जाना है, वह यह है कि अपीलार्थियों को क्या दंड दिया जाना चाहिए। अपीलार्थियों ने केवल 3 से 4 महीने की सेवा की है और वे सम्पूर्ण अवधि में जमानत पर रहे हैं। 10 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात् उन्हें वापस जेल भेजना न्याय के हित में उचित नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि मृतक के परिवार को अधिक प्रतिकर दिया जाता है, तो यह उस सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य को पूरा करेगा जिसकी मांग सजा देने की नीति का आधुनिक रुझान करता है। इन कारणों से, अतः, हम रामकांत राय को छोड़कर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को धारा 302/149 से धारा 325/149 में परिवर्तित करते हैं और दंड को पूर्व में भुगती गई अवधि के लिए कम करते हैं। छूट दी गई दंड के बदले, हम प्रत्येक अपीलार्थी पर ₹5000 का जुर्माना अधिरोपित हैं, जिसके भुगतान के व्यतिक्रम होने पर दो वर्ष का कठोर कारावास होगा। समस्त जुर्माना, यदि वसूल किया जाता है, तो अ. सा. 1, जनार्दन की विधवा को भुगतान किया जाएगा। धारा 147 के तहत दंड को भी पहले ही काटी गई अवधि तक कम किया जाता है।

2. रामकांत राय के संबंध में, चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य है कि वह वह व्यक्ति था जिसने जनार्दन को गोली मारने के लिए राम सेवक को कारतूस दिया था। इन परिस्थितियों में, रामकांत राय को धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया

जाता है और इस धारा के तहत उसकी आजीवन कारावास की दंड को बरकरार रखा जाता है। इस संशोधन के साथ, अपील खारिज की जाती है। जुर्माना छह महीने में अदा किया जाना है। जुर्माना के भुगतान के पश्चात्, अपीलार्थियों को जमानत मुचलके से अभिमुक्त किया जाएगा।”

(महत्व हमारा जोड़ा गया)

11. हमने साक्ष्य की जाँच की है। हमने मृतक के **पोस्टमार्टम नोटों** का अवलोकन किया है। अ. सा.-17 (डॉ. बाबूराम आर्य) उस समय चांदला के अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत थे। 2 नवंबर 1989 को, घायल गवाहों के साथ-साथ मृतक लक्ष्मण को भी चिकित्सकीय जांच के लिए उनके समक्ष लाया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया, मृतक-लक्ष्मण के शरीर पर निम्नलिखित चोटें थीं:

"लक्ष्मण के शरीर पर निम्नलिखित चोटें थीं:-

1. विदीर्ण घाव 4×.5×.5 से.मी., खोपड़ी के मध्य के पीछे की तरफ था।
2. विदीर्ण घाव 2×.5×.5 से.मी., बाईं कोहनी पर।
3. विदीर्ण घाव 2×.5×.5 से.मी., पहले अग्रबाहु के ऊपरी एक-तिहाई भाग पर।
4. दाहिनी अग्रबाहु में 5 से.मी. परिधि की सूजन।
5. विदीर्ण घाव 2×.2 से.मी., बाएं पैर के बीच में। मरीज ने चोट के बारे में दर्द की शिकायत की। बाद में कहा कि यह विदीर्ण घाव नहीं था, यह सिर्फ एक खरोंच थी।
6. विदीर्ण घाव, 3×.5×.5 से.मी., दाहिनी भौंह पर एक क्षैतिज आकार में।
7. विदीर्ण घाव 2.5×.3 से.मी., त्वचा की गहराई तक, नाक की रेखा में।
8. विदीर्ण घाव 3×.3 से.मी., नाक के दाहिनी ओर त्वचा की गहराई तक।

.. .. ."

12. उनके साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक को घटना की तारीख पर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर 1989 को शाम 6 बजे, मृतक उनके पास आया और मतली और उल्टी की सनसनी के साथ-साथ सिरदर्द की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उसके चेहरे के दाहिनी ओर और नाक के दाहिनी ओर सूजन थी। उपचार के पश्चात्, उसे आगे के उपचार के लिए छतरपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु 15 नवंबर 1989 की रात को हुई थी। आक्षेपित निर्णय के कंडिका 5 में, उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि मृतक का जिला अस्पताल में बारह दिनों तक उपचार किया गया और उसे छुट्टी दे दी गई। अ. सा.-4 के साथ घर लौटते समय, उसने फिर से सिरदर्द की शिकायत की और अतः, उसे चांदला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 15 नवंबर 1989 को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, मृत्यु घटना के पंद्रह दिन पश्चात् हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिलिखित है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध था, लेकिन मृत्यु का सटीक कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः, रासायनिक जांच के लिए विसरा भेजा गया था। राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला की 27 जनवरी 1990 की रिपोर्ट में अभिलिखित है कि मृतक-लक्ष्मण के फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, पेट और आंत के विसरा में कोई रासायनिक या विष मौजूद नहीं था। यह विषपान की संभावना को खारिज करता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अ. सा.-17 (डॉ. बाबूराम आर्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में क्या कहा। कंडिका 18 में, उन्होंने कहा:

“18. सभी चोटें मृत्यु से पहले की थीं। लक्ष्मण की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। निश्चित कारण बता पाना कठिन था।”

(महत्व हमारा जोड़ा गया)

अतः, न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित मृत्यु का कारण और न ही अ. सा.-17 का साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि मृतक पर किए गए घावों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त, मृत्यु घटना के 15 दिन पश्चात् हुई।

13. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अभियुक्त द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है। लेकिन तथ्य यह है कि चिकित्सकीय साक्ष्य इस बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा कथित रूप से किए गए घावों के कारण लक्ष्मण की मृत्यु हुई। अतः, इस बारे में एक गंभीर संदेह है कि क्या भ दं सं की धारा 304 भी लागू की जा सकती थी, क्योंकि चिकित्सकीय राय मृतक की हत्या जनित मृत्यु के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है। इसीलिए, उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्यर्थीगण-अभ्युक्तगण को भ दं सं की धारा 304 सहपठित धारा

149 के तहत अपराध के लिए, पूर्व में भुगती गई अवधि के लिए छोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि पहले नोट किया गया है, जब उच्च न्यायालय ने 2017 में अपील का निर्णय किया, तो घटना पहले ही अट्ठाईस वर्ष पुरानी हो चुकी थी। जब हम 2024 की इस अपील (जो 2018 की विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न हुई है) का निर्णय कर रहे हैं, तो घटना लगभग छत्तीस वर्ष पुरानी है।

14. जब उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था, तब कम से कम पाँच अभियुक्त सत्तर वर्ष से अधिक आयु के थे, और उनमें से एक की आयु लगभग अस्सी वर्ष थी। उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माने के तौर पर प्रत्येक पर ₹16,000/- की पर्याप्त अधिरोपित की गई है। अतः, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

पुनश्च

15. हमारे देश के सभी प्रमुख उच्च न्यायालयों में, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति के विरुद्ध आपराधिक अपीलों की भारी लंबितता है। बहुत पुरानी आपराधिक अपीलों की लंबितता को देखते हुए, आमतौर पर उन अपीलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अभियुक्त जेल में हैं। दोषसिद्धि के विरुद्ध वे अपीलें जिनमें अभियुक्त जमानत पर हैं, दूसरे स्थान पर आ जाती हैं। हालांकि, एक सही संतुलन बनाना होगा और उन पुरानी आपराधिक अपीलों में से कुछ की सुनवाई भी करनी होगी जिनमें अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की वृद्धावस्था और अपराध किए जाने से लेकर लंबा समय बीत जाना हमेशा उन अपीलों को कुछ प्राथमिकता देने का उपलब्ध आधार हो सकता है जिनमें अभियुक्त जमानत पर हैं। यदि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें जिनमें अभियुक्त जमानत पर हैं और विशेष रूप से जहाँ आजीवन कारावास की दंड लगाई गई है, उन्हें दायर करने के एक दशक या उससे अधिक समय के पश्चात् सुना जाता है, और यदि अपील खारिज हो जाती है, तो एक लंबे अंतराल के पश्चात् अभियुक्त को वापस जेल भेजने का प्रश्न उठता है। अतः, यह वांछनीय है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध कुछ श्रेणियों की अपीलों को, जहाँ अभियुक्त जमानत पर हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

16. अपील खारिज की जाती है।

मामले का परिणाम: अपील खारिज हुई।

(तोशाली पाली द्वारा अनुवादित)

म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर